रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 574] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 1989/कार्तिक 10, 1911
No. 574] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 1989/KARTIKA 10, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1989

सं. 58/89-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन-टी)

सा.का.नि. 944(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1.(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (बसवां संशोधन) नियम, 1989 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 185 के उपनियम (1) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि माल की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी पेटियों या पैकेजों पर स्वामी के नाम के चिह्नांकन की अपेक्षा से छूट दे सकेगी ।"

[फा. सं. 263/13/89-सी एक्स-8]
के. सी. सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 1989

No. 53/89—CENTRAL EXCISES (N.T.)

G.S.R. 744(E):—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (10th Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 185 of the Central Excise Rules, 1944 to sub-rule (1), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the Central Government may, if it is of the opinion that having regard to the nature of the goods it is necessary so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, exempt from the requirement as to marking of owners' name on such cases of packages."

[F.No.263/13/89-CX.8]
K.C. SINGH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989